न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— अक्षय गोदारा, आई0ए0एस0 (प्रशिक्षु)

राजस्व वाद संख्याः— 16/2009

1. रतना पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी भरंगरपुर तहसील व जिला भरतपुर (मृतक)
   1/1. विमलेश पुत्री रतना जाति जाट निवासी भरंगरपुर तह0 व जिला भरतपुर
2. तुरसी } पिसरान रामजीलाल जाति जाट निवासी भरंगरपुर
3. रामभरोसी } तहसील व जिला भरतपुर।

..................वादीगण

बनाम

भारत सरकार भारतीय रेलवे जरिये मण्डल प्रबन्धक (डी.आर.एम.) उत्तर मध्य रेलवे आगरा कैण्ट आगरा (उ0प्र0)

..................प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांकः— 28—03—2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम भरंगरपुर तहसील भरतपुर स्थित साविक आराजी खसरा नंबर 69 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, 70 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा, 65 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा, 67 रकबा 19 बिस्वा के वादीगण वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार काबिज हैं। जिसके भू—प्रबन्ध विभाग ने हाल खसरा नंबर 65/0.57, 66/0.30, 67/0.13, 215/0.10 मिन बनाये हैं।

वादीगण की उक्त वादग्रस्त आराजी की मौके पर साविक राजस्व रिकार्ड के अनुसार मेड डोल बनी हुई हैं और मौके पर वादीगण का रकबा पूरा है। किन्तु उक्त नंबरान में भू–प्रबन्ध विभाग ने साविक रकबा से 10 एयर रकबा कम अंकित कर दिया है। तथा प्रतिवादी के हाल खसरा ंनबर 215 में साविक से 23 एयर अधिक रकबा अधिक अंकित कर दिया है जिसमें 10 एयर रकबा वादीगण का सम्मिलित कर दिया है और वादीगण के स्थान पर प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड मे गलत रूप से खातेदारी की प्रविष्टियां कर दी हैं। जबकि भू–प्रबन्ध विभाग को साविक रकबा के अनुसार ही हाल रिकार्ड में रकबे की प्रविष्टियां करनी चाहिए थीं। भू–प्रबन्ध विभाग को वादीगण के रकबे को साविक से कम करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त नंबरान का विवरण निम्न प्रकार है –

हाल खसरा नंबर	साविक खसरा नंबर	साविक के अनुसार रकबा होना चाहिए और है	रकबा कम या वेशी
65/0.57	69/1.12, 70/2.1	59 एयर–57 एयर	2 एयर कम
66/0.30	65/2.5	36 एयर–30 एयर	6 एयर कम
67/0.13	67/0.19	15 एयर–13 एयर	2 एयर कम
215/2.70	179/14.18	2.47 हैक्टे0 – 2.70 हैक्टे0	23 एयर वेशी

वादीगण के खाते में साविक रकबा से हाल रकबा में 10 एयर रकबा कम अंकित होने की वजह से वादीगण की हकूक खातेदारी पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। हाल खसरा नंबर 215/2.70 के रकबा 10 एयर पर वादीगण के नाम वहिस्सा बराबर की खातेदारी की प्रविष्टियां होनी चाहिए थीं किंतु भूप्रबंध विभाग ने वादीगण के खसरा नंबर 215 मिन रकबा 10 एयर पर गलत रूप से प्रतिवादी के नाम खातेदारी की प्रविष्टियां कर दी हैं जिसे वादीगण जरिये डिक्री इस्तकरार हक अपने नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं।

प्रतिवादी ने वादीगण को दिनांक 15.01.2009 को खुले आम वाके ग्राम भरंगरपुर में धमकी दी है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त हकूक खातेदारी के हाल खसरा नंबर 215 मिन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रकबा 10 एयर पर उनके नाम हो रही खातेदारी की प्रविष्टियों के कारण जबरन बेदखल कर कब्जा कर लेंगे तथा आराजी मुतनाजा को काबिल काश्त नहीं छोडेंगे। यदि प्रतिवादी अपनी धमकी में सफल हो गया तो वादीगण को असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकेगी इस कारण वादीगण प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करा पाने के अधिकारी है।

भू–प्रबंध विभाग को हाल खसरा नंबर 215 पर प्रतिवादी के नाम साविक रिकार्ड के अनुसार ही साविक खसरा नंबर 179 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा यानि कि 2.47 हैक्टे0 पर खातेदारी की प्रविष्टियां करनी थीं किंतु भू–प्रबंध द्वारा साविक से 23 एयर वेशी रकबे पर प्रतिवादी के नाम खातेदारी की प्रविष्टियां कर दी हैं जबकि मौके पर साविक के अनुसार ही प्रतिवादी काबिज है।

इस प्रकार यह प्रकरण रकबा दुरुस्ती का है जिसके लिए प्रतिवादी के विरुद्ध इस्तकरार हक का दावा पेश किया जा रहा है। सरकार के विरुद्ध दावा दायर करने से पूर्व 2 माह का नोटिस देने का कानून में आज्ञापक प्रावधान है। यदि वादीगण प्रतिवादी को नोटिस देते हैं तो प्रतिवादी अपनी धमकी मे ंसफल हो जावेगा। इस कारण वादीगण यह वादपत्र बिना नोटिस दिये न्यायालय की पूर्व इजाजत से प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके लिए पृथक से प्रार्थना पत्र धारा 80(2) जा0दी0 पेश किया जा रहा है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस प्रकार वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि साविक राजस्व अभिलेख के अनुसार हाल राजस्व अभिलेख में वहिस्सा बराबर वादपत्र की मद सं0 3 के अनुसार खसरा नंबर 215 के रकबा 10 एयर पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा साविक के अनुसार हाल खसरा नंबर 215 वाके ग्राम भरंगरपुर के रकबा 2.47 है0 पर प्रतिवादी के नाम खातेदारी के नाम अंकन किये जावें। तथा खसरा नंबर 215 में मिन नंबर डालकर 10 एयर रकबे पर वहिस्सा बराबर वादीगण के नाम खातेदारी का अंकन किया जावे। अपने दावा के समर्थन में वादीगण द्वारा मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी , हाल खाता सं0 110,

जमाबंदी साविक खाता सं0 135, संवत 2024–2028 नक्शा ट्रेस साविक जमाबंदी, नक्शा ट्रेस हाल खसरा नंबरान की नकलें पेश की हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दिनांक 06.01.2010 को अपना जबाव दावा प्रस्तुत किया, जो संलग्न पत्रावली है। प्रतिवादी ने अपने जबाव दावा में वादपत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर दावा वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादी द्वारा अपने जबाव दावा के विशेष कथन में अंकित किया है कि भारत संघ रेलवे विभाग की भूमि आराजी खसरा नंबर 133, 178, 179 गैर मुमकिन सरकारी रेलवे विभाग की भूमि है जो भूप्रबंध विभाग द्वारा किये गये सैटलमेंट से पहले से ही रेलवे विभाग के स्वामित्व व कब्जे की भूमि है। इसलिए वादीगण का यह कहना गलत है कि भूप्रबंध विभाग ने 10 एयर भूमि उनके आराजी खसरा नंबर से कम कर दी है। यदि ऐसा हुआ भी है तो 10 एयर भूमि किस नंबरान में बढी है, वादीगण यह स्पष्ट रूप से न्यायालय के समक्ष कहकर नहीं आये हैं। राजस्व रिकार्ड रेलवे विभाग के नक्शा के मुताबिक प्रथमदृष्टया उक्त भूमि रेलवे विभाग की है जो रेलवे सार्वजनिक कार्य हेतु अपने स्वामित्व में होने के कारण सुरक्षित रखा गया है। क्योंकि रेलवे ट्रैक से जुडी हुई रेलवे की भूमि का उपयोग व उपभोग करने का अधिकार केवल रेलवे विभाग को है और रेलवे विभाग उक्त भूमि पर सामान रखरखाव के कार्य के लिए ले रहे हैं। वादीगण का उक्त पर कोई कब्जा नहीं है। उक्त क्षेत्र में रेलवे विभाग को चिन्हित करने वाली मुड्डियां गढी हुई हैं। वादीगण ने तथ्यों को तोड–मरोडकर भूमि पर अवैध कब्जा करने की बदनीयती से दावा पेश किया है। भू–प्रबंध विभाग की किसी भी एंट्री को दुरुस्त कराने के लिए वादी को अपील करने व धारा 136 के तहत वाद प्रस्तुत करने का विकल्प था। वादीगण धारा 88–89–188 राज0 काश्तकारी अधि0 के तहत घोषणात्मक डिक्री पारित करा पाने के अधिकारी नहीं है। अतः दावा वादीगण काबिल खारिजी के है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

दावा व जबाव दावा के आधार पर प्रकरण में निम्नांकित तनकियात कायम की गईं–

तनकी नं0 1– ''आया वादीगण विवादित आराजी के काबिज खातेदार काश्तकार हैं।'' ....
वादीगण

तनकी नं0 2– ''आया 0.10 हैक्टे0 रकबा वादीगण का इन्द्राज प्रतिवादी के नाम सैटलमेंट विभाग ने दर्ज कर दिया है जिसे दुरूस्त करा पाने के वादीगण अधिकारी हैं'' ....
वादीगण

तनकी नं0 3– ''आया वादीगण डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं'' ....
वादीगण

तनकी नं0 4– ''आया दावा वादीगण मैंटेनेबिल नहीं है''

....
प्रतिवादी

तनकी नं0 5– ''आया दावा दायर करने से पूर्व धारा 80 सी.पी. सी. का कोई नोटिस नहीं दिया इसका दावे पर क्या प्रभाव है''..
प्रतिवादी

तनकी नं0 6– ''आया दावा वादीगण को सुनने के अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं हैं'' ....
प्रतिवादी

तनकी नं0 7– ''आया प्रतिवादी हर्जा खास 5,000 रु. का अधिकारी है'' .
...........प्रतिवादी

तनकी नं0 8– ''दादरसी क्या होगी?''

प्रकरण में उपरोक्तानुसार तनकी कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.07.2010 को गवाह रामभरोसी का शपथपत्र पेश हुआ। जिससे दिनांक 24.11.2016 को जिरह पूर्ण की गई। अन्य साक्ष्य पेश न करने पर दिनांक 04.11.2016 को साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई। किंतु बार–बार अवसर देने के बावजूद साक्ष्य न आने पर दिनांक 18.01.2019 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

पत्रावली पर दिनांक 15.03.2019 को अभिभाषक वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है–

तनकी नं0 1 व 2 – चूंकि तनकी सं0 1 व 2 आपस में एकरूपता है, इसलिए तथ्यों की बार–बार पुनरावृत्ति से बचने के लिए इनका निर्णय एकसाथ किया जा रहा है। उक्त दोनों तनकियात को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण पर है। वादीगण द्वारा अपनी आराजी खसरा नंबरान 65,66,67 में 10 एयर कमी रकबा बताते हुए उक्त 10 एयर की पूर्ति प्रतिवादी के खसरा नंबर 215/2.70 हैक्टे0 से कराने बावत दावा प्रस्तुत किया है। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी साविक व हाल तथा नक्शा ट्रेस हाल व गत का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। वादी के हाल खसरा नंबर 65, 66, 67 व प्रतिवादी के हाल खसरा नंबर 215 के मध्य खसरा नंबर 209 स्थित है। उक्त खसरा नंबर 209 वादीगण के खसरा नंबर 65, 66, 67 से बिल्कुल चिपटमा है। इस कारण उक्त खसरा नंबर 209 के बाद स्थित प्रतिवादी के खसरा नंबर 215 में वादीगण का रकबा समाहित होना संभव नही है, क्योंकि रकबा पूर्ति के लिए कमी वाली आराजी व वेशी वाली आराजी का आपस में चिपटमा होना आवश्यक है और खसरा नंबर 209 वादीगण के खसरा नंबर 65, 66, 67 से चिपटा हुआ है। इस कारण खसरा नंबर 65, 66, 67 का रकबा खसरा नंबर 215 में शामिल हुआ हो यह कतई साबित नही है इसके अलावा वादीगण द्वारा खसरा नंबर 209 की बाबत कोई भी रिकॉर्ड गत व हाल जमाबन्दी व नक्शा न्यायालय के समक्ष पेश नही किये है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिससे यह प्रतीत होता है कि वादीगण द्वारा यह तथ्य छिपाया गया है।

नक्शा हाल के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि वादीगण के खसरा नंबर 65, 66, 67 से हाल खसरा नंबर 86, 87, 85, 80, 76, 68 व 208 भी सटे हुए है, तो इस बात की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता कि वादी का रकबा उपरोक्त खसरा नंबरान में समाहित कर दिया हो। वादीगण द्वारा उपरोक्त खसरा नंबर 86, 87, 85, 80, 76, 68 व 208 का कोई हाल व साविक रिकॉर्ड व मिलान क्षेत्रफल पेश नही किया है। यह क्यों पेश नही किया इसका कोई स्पष्ट उल्लेख वादीगण ने नही किया, इस कारण वादीगण दुरस्ती करा पाने के अधिकारी नही है। वादीगण द्वारा वादपत्र की मद सं0 2 यह वर्णित किया है कि साविक खसरा नंबर 69, 70, 65 व 67 से बन्दोबस्त विभाग ने हाल खसरा नंबर 65/0.57, 66/0.30, 67/0.13, 215/0.10 मिन बनाये है लेकिन वादी ने कहीं भी यह उल्लेख नही किया है कि 215/0.10 मिन वादीगण के किस साविक नंबर से बना है। हाल रिकॉर्ड व नक्शा का अवलोकन करने पर यह तथ्य भी स्पष्ट है कि खसरा नंबर 215/0.10 मिन का कोई अस्तित्व मौके पर नही है। वादीगण द्वारा खसरा नंबर 215 मिन का कोई रिकॉर्ड पेश नही किया है।

उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी नंबर 1 व 2 वादीगण के हक में साबित न होने से विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी नं0 3 – इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण अपने वादपत्र के अनुसार खसरा नंबर 215/0.10 मिन का कोई अस्तित्व मौके पर साबित नही कर पाये है और न ही वादीगण यह साबित कर पाये है कि वादीगण का 10 एयर रकबा प्रतिवादी के खसरा नंबर 215 में मिला दिया गया है। इस कारण वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी नही है। यह तनकी भी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तनकी नं0 4 व 6 – तनकी सं0 4, 6 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। तनकी नंबर 4 व 6 के तथ्य एक समान होने से इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है। प्रतिवादी द्वारा इस प्रकार का कोई साक्ष्य व नजीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की है कि जिससें हस्तगत वादपत्र मेन्टेनेबिल नही हो और वादपत्र की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही हो। अतः उपरोक्त तनकी साक्ष्य के अभाव में विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं0 5 – इस तनकी को भी सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा इस प्रकार का कोई साक्ष्य या नजीर न्यायालय हाजा में पेश नही की है कि जिसमें धरा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिया जाना आज्ञापक प्रावधान हो और इसके अभाव में दावा खारिज किये जाने योग्य हों। अतः उपरोक्त तनकी भी साक्ष्य के अभाव में विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं0 7 – इस तनकी को भी साक्ष्य करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए कोई हर्जा खास प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

तनकी नं0 8 दादरसी – उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी सं0 1, 2, 3 विरूद्ध वादीगण व तनकी सं0 4, 5, 6, 7 विरूद्ध प्रतिवादी तय की गयी है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है। वादीगण अपने दावा को सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहे है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>अतः आज्ञा है कि –</u>

दावा वादीगण साक्ष्य के अभाव सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)

आई.ए.एस.(प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official